भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **6079**

दिनांक 01.04.2026 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेकेकेवाई 2024 के लिए संशोधित दिशानिर्देश

6079. श्री राहुल कस्वां:

श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के तहत प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) 2024 के लिए नए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो इसके प्रमुख प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि पीएमकेकेकेवाई 2024 के दिशानिर्देशों में धन के उपयोग के लिए क्षेत्र मानचित्रण, परियोजना चयन, कार्य अनुमोदन और निगरानी के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार को डीएमएफ/पीएमकेकेकेवाई 2024 के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें मिल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो जिला प्राधिकरण, कार्यान्वयन एजेंसी या संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के मौजूदा प्रावधानों का ब्यौरा क्या है, साथ ही उल्लंघन के मामले में की गई कार्रवाई और वर्ष 2024 से अब तक चूरू और झुंझुनू जिले सहित राजस्थान राज्य के संबंध में जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा पीएमकेकेकेवाई 2024 के प्रभावी कार्यान्वयन और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो राजस्थान राज्य के संबंध में जिलेवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चंद्र दूबे)

(क) से (च): केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2024 को जारी संशोधित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) दिशानिर्देशों में, *अन्य बातों के साथ-साथ,* प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधि का कम से कम 70 प्रतिशत उपयोग, सरकारी स्कीम के साथ अभिसरण, डीएमएफ की शासी परिषद में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करना, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सी एंड एजी द्वारा ऑडिट के साथ, सी एंड एजी सूचीबद्ध चार्टड अकाउंट द्वारा ड़ीएमएफ खातों का अनिवार्य वार्षिक ऑडिट और डीएमएफ के प्रदर्शन, और डीएमएफ के पारदर्शिता मानदंडों, ऑडिट और वार्षिक रिपोर्ट के अनुपालन की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति शामिल है। उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, डीएमएफ की निधि के व्यय की स्वीकृति पूरी तरह से डीएमएफ की शासी परिषद के पास है।

इसके अलावा, संशोधित पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश 2024 की धारा 12, डीएमएफ को एक शिकायत निवारण तंत्र तैयार करने और लागू करने का निर्देश देती है ताकि प्रत्येक शिकायत का निवारण किया जा सके और शिकायतकर्ता द्वारा कलेक्टर या किसी अन्य अधिकारी को, जिसे अधिसूचित किया गया हो, को शिकायत करने के 30 दिनों के भीतर उसे जवाब दिया जा सकता है। दिशानिर्देशों की धारा 13 में यह प्रावधान है कि राज्य या केंद्र सरकार, धारा 12 के संबंध में अपने निर्देशों का पालन करने में डीएमएफ की विफलता की स्थिति में, किसी भी  अथवा सभी नए कार्यों की स्वीकृति या पहले से स्वीकृत किसी भी अथवा सभी कार्यों के निष्पादन को निलंबित करने का निर्देश दे सकती है; और / या बैंक (बैंकों) द्वारा किसी भी या सभी कार्यों के लिए निधि जारी करने का निलंबन, जहां डीएमएफ निधि जमा की जाती है या निष्पादित एजेंसियों का बैंक खाता जहां डीएमएफ से निधि हस्तांतरित किया गया है, कर सकती है। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, झुंझुनू जिले में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। हालाँकि, जाँच में कोई उल्लंघन नहीं पाया गया।

खान मंत्रालय ने डीएमएफ निधि की पारदर्शिता और प्रभावी उपयोग को बढ़ाने के लिए नेशनल डीएमएफ पोर्टल लॉन्च किया है। राजस्थान राज्य के लिए जिला-वार विवरण https://mines.gov.in/webportal/content/rajasthan-dmf पर उपलब्ध है।

*****